शिया सैन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक्फ़, उ०प्र०
817, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
Shia Central Board of Waqf, U.P.
817, Indra Bhawan, Ashok Marg, Lucknow
Ph. : 0522-2286497, 3209108

شیعہ مرکزی وقف بورڈ۔ اتر پردیش
۸۱۷، اندرا بھون، اشوک مارگ، لکھنؤ
فون نمبر: ۰۵۲۲-۲۲۸۶۴۹۷، ۳۲۰۹۱۰۸

Ref. No. Camp | Rampur | 07   Dated : 01 | 04 | 2012

प्रेषक,

अध्यक्ष
शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी /
अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ
जनपद–रामपुर।

पत्रांक: Memo /कैम्प–रामपुर   दिनांक: 1–04–2012

विषय: वक्फ हुसैनी सराय आई– 1546 के सम्बन्ध में।

वक्फ हुसैनी सराय आई– 1546 बोर्ड के अभिलेखों मे नियमानुसार पंजीकृत है। बोर्ड ने प्रश्नगत वक्फ में 68 व 30 कुल 98 दुकानें बनाये जाने की अनुमति मुतवल्ली के अनुरोध पर वक्फ के हित में निम्नलिखित 6 शर्तो पर प्रदान की थी।

1– यह कि प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार ही दुकानों का निर्माण किया जायेगा।

2– यह कि दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये आकड़ो के अनुसार ही निर्माण कराया जायेगा।

3– यह कि निर्माण मे किसी प्रकार की कमी होने के कारण निर्माण को अगर कोई क्षति पहुँचती है तो उक्त क्षति से कोई अन्य नुकसान व कोई अप्रिय घटना घटित होती है या किसी का जानी व माली नुकान व कोई व्यक्ति चोटिल होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रबन्ध कमेटी की होगी, जिसको अनुमति प्रदान की जा रही है ऐसी दशा में बोर्ड नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

4– यह कि निर्माण के बाद 68 व 30 दुकानो की किरायेदारी जिसके निर्माण के लिये बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की जा रही है, की किरायेदारी नियमानुसार सर्किल रेट से की जायेगी।

5– यह कि वक्फ की दुकानों की किरायेदारी गैर शरई व गैर कानूनी कार्य किया जाना प्रतिबन्ध है, जिसके लिए दुकान की किरायेदारी कदापि नहीं की जा सकेगी।

शिया सैन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़, उ०प्र०
817, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
Shia Central Board of Waqf, U.P.
817, Indra Bhawan, Ashok Marg, Lucknow.
Ph.: 0522-2286497, 3209108

شیعہ مرکزی وقف بورڈ۔اترپردیش
۸۱۷،اندرا بھون،اشوک مارگ،لکھنؤ
فون نمبر:۰۵۲۲۔۲۲۸۶۴۹۷،۳۲۰۹۱۰۸

Ref. No. ....   Dated : ....

6— यह कि कुल 98 दुकानों के निर्माण के पश्चात वक्फनामें के अनुसार मुसाफिरखाना(हुसैनी सराय) बनाये जाने हेतु किये गये अनुरोध के अनुसार दुकानों की छतों पर मुसाफिरखाने का मानचित्र व आकरण बोर्ड के समक्ष शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्तुत करे।

बोर्ड के संज्ञान मे आया कि वक्फ के मुतवल्ली नबाव काजिम अली खां द्वारा किसी प्राईवेट बिल्डर (नजिया कन्संट्रशन कम्पनी) से निर्माण कराया जा रहा है तथा निर्माण के सम्बन्ध मे मुतवल्ली (नबाव काजिम अली खां) द्वारा नजिया कन्संट्रशन से कोई एग्रीमेंट(अनुबन्ध) किया गया है, जो वक्फ बोर्ड द्वारा दी गयी अनुमति के विपरीत है व नियमों का उल्लघंन है। प्रकरण वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा व वाकिफ की मंशा से जुड़ा है । बोर्ड वक्फ हित मे यह उचित समझता है कि प्रकरण की जांच तत्काल प्रभाव से करवा ली जाये। अतः बोर्ड जिलाधिकारी/अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ, रामपुर को निर्देशित करता है कि प्रकरण की जांच एक सप्ताह में कराकर आख्या बोर्ड को उपलब्ध करा दी जाये ताकि वक्फ हित मे अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। बोर्ड वक्फ हित मे उचित समझते हुए यह भी निर्देशित करता है कि वक्फ सम्पत्ति पर बनाई गयी 98 दुकाने जोकि निरीक्षण के दौरान खाली पायी गयी है, बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक सील करा दे ताकि जांच के दौरान कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति वक्फ सम्पत्ति को हस्तांतरित न कर दे।

भवदीय,

(वसीम रिजवी)
अध्यक्ष
शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ
उ0प्र0, लखनऊ।

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

आदेश

अवकाफ रामपुर त वक्फ हुसैनी सरॉए I–1546 के संबंध में बोर्ड के संज्ञान में आया कि वक्फ सम्पत्ति हुसैनी सरॉए पर बोर्ड द्वारा दी गयी अनुमति के विपरीत कार्य किया जा रहा है तथा अन्य अवकाफ रामपुर की सम्पत्तियों में खुर्द–बुर्द किया जा रहा है। बोर्ड ने दिनांक 01–4–2012 को अवकाफ रामपुर का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टि में बोर्ड ने पाया कि वक्फ हुसैनी सरॉए I–1546 व वक्फ कर्बला शरीफ I–1236 में नियमानुसार कार्य नहीं हो रहा है। निरीक्षण के दौरान बोर्ड के संज्ञान में आया कि वक्फ के मुतवल्ली नवाब काज़िम अली खां द्वारा किसी प्राइवेट बिल्डर माज़िया कान्सट्रक्शन कम्पनी से निर्माण कराया जा रहा है तथा निर्माण के संबंध में मुतवल्ली द्वारा माजिया कान्सट्रक्शन कम्पनी से अनुबन्ध किया गया है जो बोर्ड द्वारा दी गयी अनुमति के विपरीत है व नियमों का उल्लंघन है। प्रकरण वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा व वाकिफ की मन्शा से जुड़ा है। बोर्ड ने ज़िलाधिकारी से इस प्रकरण में अपने पत्र संख्या: कैम्प/रामपुर/01 दिनांक 01–4–2012 के अन्तर्गत निर्देशित किया कि प्रकरण की जांच कर आख्या बोर्ड के समक्ष एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें तथा वक्फ हित में यह भी निर्देशित किया कि वक्फ सम्पत्ति पर बनायी गयी 98 दुकानें जोकि निरीक्षण के दौरान खाली पायी गयी हैं। बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक सील कर दें ताकि जांच के दौरान कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति वक्फ सम्पत्ति को हस्तांतरित न कर दे। ज़िलाधिकारी ने प्रकरण में मांगी गयी जांच आख्या बोर्ड के समक्ष पत्रांक संख्या–12/वक्फ नं0 I–1546/ह0स0–जांच/12 दिनांक 09–4–2012 प्रस्तुत की है। जांच आख्या के अनुसार ज़िलाधिकारी ने बोर्ड के पत्र दिनांक 01–4–2012 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के अनुपालन में I–1546 हुसैनी सरॉए वक्फ सम्पत्ति पर बनाये जा रहे शापिंग काम्पलेक्स की जांच के संबंध में "अपर ज़िलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में अपर ज़िला मजिस्ट्रेट सदर रामपुर, सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त, रामपुर व सहायक अभियन्ता, रामपुर विकास प्राधिकरण की एक जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी ने बोर्ड द्वारा हुसैनी सरॉए में बोर्ड द्वारा दी गयी छः शर्तों पर आधारित अनुमति पर बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की गयी है।" बोर्ड द्वारा दी गयी अनुमति दिनांक 17–8–2009 के बिन्दु नं0–1 यहकि प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार ही दुकानों का निर्माण कराया जायेगा के संबंध में जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत आख्या में लिखा है कि **"शर्त संख्या–1 के विषय में जांच के समय पाया गया कि 98 दुकानें वक्फ बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी है परन्तु स्थल पर निरीक्षण के दौरान सहायक अभियन्ता, रामपुर विकास प्राधिकरण की आख्या के अनुसार वक्फ बोर्ड की स्वीकृति के अतिरिक्त 13 दुकानों का निर्माण अधिक पाया गया। इसमें से 10 दुकानों का निर्माण कार्य अभी डी0पी0सी0 तल तक किया गया है। इस प्रकार वक्फ बोर्ड की प्रथम शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया।** बोर्ड की शर्त नं0–2: यहकि दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये आकड़ों के अनुसार ही निर्माण कराया जायेगा, के संबंध में जांच

२५.५.३०

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

कमेटी द्वारा प्रस्तुत आख्या में लिखा गया है कि **शर्त संख्याः 2ः के विषय में जांच के समय पाया गया कि दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये आंकरड़ (नक्शे) के अनुसार निर्माण नहीं कराया गया है। मौके पर स्थलीय निरीक्षण के समय कुछ दुकानें प्रस्तावित आंकरड़ (नक्शे) से भिन्न पायी गयी हैं।** बोर्ड की शर्त नं0–4ः यहकि निर्माण के बाद 68 व 30 दुकानों की किरायेदारी जिसके निर्माण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की जा रही है की किरायेदारी नियमानुसार सर्किल रेट से की जायेगी, के संबंध में जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत आख्या में लिखा गया है कि **शर्त सं0–4ः के विषय में कहना है कि किरायेदारी सर्किल रेट पर होना नहीं पाया गया। श्री वली उल्ला खां पुत्र सईदुउल्ला खां, निवासी ज्यारत हल्के वाली, रामपुर के हुसैनी सराय व्यवसायिक केन्द्र के पंजीकरण प्रपत्र रसीद दिनांक 27–01–2012 से स्पष्ट है कि दो दुकानों के आवंटन हेतु रू0 1,55,000.00 पगड़ी के रूप में तथा दुकान का मासिक किराया रू0 400 प्रतिमाह की दर 11 माह का प्रति दुकान का अनुबंध किया गया है (पंजीकरण प्रपत्र एनेक्सर 3) के रूप में संलग्न है। जबकि उक्त स्थल का किरायेदारी सर्किल रेट रू0 2156 है। इस प्रकार समस्त दुकानों का पंजीकरण उपरोक्तानुसार ही किया गया है, जो सर्किल रेट एवं वक्फ बोर्ड के निर्देशों के विपरीत है।** बोर्ड की शर्त नं0–6ः यहकि कुल 98 दुकानों के निर्माण के पश्चात वक्फनामें के अनुसार मुसाफिरखाना (हुसैनी सराय) बनाये जाने हेतु दुकानों की छत पर मुसाफिरखाने का मानचित्र व आकरण बोर्ड के समक्ष शीघ्र अति शीघ्र प्रस्तुत करें, के संबंध में जांच कमेटी द्वारा प्रस्तत आख्या में लिखा गया है कि **शर्त सं0–6ः के विषय में कहना है कि दुकानों के निर्माण के पश्चात् वक्फनामें के अनुसार मुसाफिरखाना (हुसैनी सराय) का निर्माण करायेंगे परन्तु स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह संज्ञान में आया कि दुकानों के निर्माण के ऊपर मुसाफिरखाने के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। उक्त दुकानों के ले आउट के अनुसार भू–तल पर निर्मित दुकानों के ऊपर प्रथम दृष्टतः मुसाफिरखाने के निर्माण हेतु इस प्रकार के प्लान की कोई अभिकल्पना नहीं की गयी है और स्वीकृत मानचित्र के ले आउट के अनुसार इतने बड़े व्यवसायिक निर्माण हेतु वाहन की पार्किंग, अग्नि शमन के संबंध में व रेन वाटर हर्वेस्टिंग का कोई भी प्रस्ताव नहीं किया गया है, जैसाकि सहायक अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर की आख्या दिनांक 06–4–2012 स्पष्ट है।** जांच कमेटी द्वारा अपनी आख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि नवाब काज़िम अली खां ने वक्फ हुसैनी सराय की वक्फ भूमि पर उक्त दुकानों का निर्माण प्राइवेट बिल्डर माजिया कान्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा कराया गया है, जबकि शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा मात्र मुतवल्ली को दुकानात निर्माण कराये जाने की अनुमति दी गयी थी और मुतवल्ली को प्राइवेट बिल्डर से कोई अनुबन्ध करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड की अनुमति के अनुसार मुतवल्ली द्वारा स्वयं निर्माण न करा कर माजिया कान्सट्रशन कम्पनी से निर्माण कराया जाना जो शिया वक्फ बोर्ड से प्राप्त अनुमति के विपरीत है। अभिलेखीय परीक्षण के उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत अनुबन्ध में हुसैनी सराय बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि मुतवल्ली द्वारा शिया वक्फ बोर्ड को भ्रमित कर वक्फ बोर्ड की शर्तों

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

का स्वार्थपूर्ति व भारी मुनाफा कमाने की नियत से उल्लंघन किया गया है। जांच कमेटी ने अपनी आख्या में लिखा है कि "रामपुर स्टेट गजट दिनांक 26 अप्रैल, 1942 जिल्द संख्या–55 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नवाब रज़ा अली खां द्वारा हज़रत इमाम हुसैन के मसाइबे सफर की यादगार कायम करने के लिए एक मुसाफिरखना हुसैनी सराय के नाम से कायम किया जाना था, जिसमें विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग जो रामपुर आयेंगे उनको ठहरने का एक उचित स्थान प्राप्त हो सके, किन्तु नवाब रज़ा अली खां (वाकिफ) की मंशा एवं उद्देश्य के विपरीत संबंधित मुतवल्ली द्वारा उक्त भूमि पर भारी मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से शापिंग काम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है और शापिंग काम्पलेक्स की दुकानों का आवंटन मोटी रकम बिल्डर द्वारा प्राप्त कर मुतवल्ली की सांठ–गांठ से प्राईवेट बिल्डर ने धर्मार्थ वक्फ संपत्ति का अस्तित्त समाप्त किया है, जो वक्फडीड एवं वक्फ अधिनियम के विरूद्ध है।

नवाब काज़िम अली खां, मुतवल्ली द्वारा दिनांक 06–02–2011 को श्री नासिर अली खां, (निदेशक, माजिया कन्सट्रक्शन कम्पनी) पुत्र श्री अनवर अली खां, साकिन मस्जिद कैथ, रामपुर के बीच बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति के अनुबंध किया गया है कि हुसैनी सराय (रक्बा 4000 वर्ग गज) पर श्री नासिर अली खां द्वारा एक शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण मय मैटेरियल के अपने खर्चे से करेंगे और शापिंग काम्पलेक्स तैयार होने पर दुकानें जो किराये पर उठाई जाएंगी उसकी वसूली श्री नासिर खां, करेंगे और रकम स्वयं अपने पास रखेंगे। इस रकम का मुतवल्ली से कोई वास्ता नहीं होगा और यह वक्फ में जमा नहीं की जाएगी। इस अनुबन्ध में मुसाफिर खाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया और न ही वक्फ बोर्ड को दुकानों से प्राप्त आय का 7 प्रतिशत अंशदान अदा किये जाने का कोई उल्लेख अनुबंध में नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वक्फ संपत्ति से होने वाली आय को इन्होंने निजी संपत्ति माना जबकि यह पूर्णतयः धर्मार्थ वक्फ संपत्ति है, जिसे किसी अनाधिकृत व्यक्ति (नासिर अली खां) को दिया जाना वक्फ की आय का दुरूपयोग एवं घोर वित्तीय अनियमितता है। प्राईवेट बिल्डर से नियमानुसार किसी प्रकार का कोई भी अनुबंध मुतवल्ली द्वारा किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अनुबंध भी वक्फ बोर्ड के आदेशों के विपरीत है।

वक्फ पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे प्रकाश में आया कि वक्फ हुसैनी सराय शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में वक्फ डीड के अन्तर्गत वक्फ के रूप में पंजीकृत है। उक्त वक्फ हुसैनी सराय, रामपुर के नवाब स्व0 रज़ा अली खां द्वारा सन् 1942 में यात्रियों के ठहरने हेतु सराय (धर्मशाला) के निर्माण के लिए वक्फ की गयी थी। वक्फ मुतवल्ली श्री नवाब काज़िम अली खां द्वारा बोर्ड को प्रस्ताव दिनांक 13–8–2009 देकर अनुरोध किया गया कि बोर्ड अपने आदेश दिनांक 15–3–2002 के अन्तर्गत 68 दुकानों की अनुमति हुसैनी सराय की सम्पत्ति पर प्रदान कर चुका है। उनके द्वारा बोर्ड के आदेश की छायाप्रति भी प्रस्ताव के साथ संलग्न की गयी। संलग्न बोर्ड का आदेश दिनांक 15–3–2002 जिसकी मूल प्रति बोर्ड की वक्फ पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। वक्फ के मुतवल्ली द्वारा उक्त आदेश 15–3–2002 बोर्ड को प्राप्त

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

कराया गया है जिसमें बोर्ड ने श्री काज़िम अली खां को उनके अनुरोध पर वक्फ बहू बेगम साहिबा I–1233, वक्फ नवाब मोहम्मद सईद खां I–1234, वक्फ बाग मेहदी अली खां, रामपुर I–1235, वक्फ कर्बला शरीफ, रामपुर I–1236, वक्फ मुकाबिर मोमेनीन रामपुर I–1237, वक्फ इमाम मर्दाना किला रामपुर, I–1238, वक्फ हुसैनी सराय रामपुर I–1546 में पूर्व आदेश दिनांक 17–9–1994 के अन्तर्गत सीधे नियन्त्रण में लेते हुए श्री के0के0 चौधरी, सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर को बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक प्रशासक नियुक्त किये जाने वाले आदेश को समाप्त करते हुए श्री नवाब काज़िम अली खां पुत्र स्व0 श्री जुल्फिकार अली खां को उपरोक्त अवकाफ रामपुर में वक्फनामे के अनुसार बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक के लिए मुतवल्ली नियुक्त कर दिया तथा वक्फ सम्पत्ति हुसैनी सराय पर प्रस्तुत निर्माण हेतु प्रस्ताव जिसमें 68 दुकानें बनाये जाने तथा दुकानों की आय से दुकानों की छत पर वक्फडीड के अनुसार हुसैनी सराय (मुसाफिरखाना) बनाये जाने का मुतवल्ली के प्रस्ताव को भी स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की थी कि दुकानों की किरायेदारी क्षेत्रीय बाजार दर से करें तथा गैर शरई कार्य हेतु वक्फ की दुकानें किराये पर न दी जाये। मुतवल्ली नवाब काज़िम अली खां द्वारा पुनः बोर्ड से किया गया अनुरोध दिनांक 13–8–2009 जिसमें उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि 68 दुकानों के पश्चात भी काफी भूमि शेष बच रही है जिसका बाद में कोई उपयोग नहीं हो पायेगा और मुसाफिरखाना छोटा ही बन पायेगा। उनके द्वारा अपने प्रस्ताव के अन्तर्गत पुनः 30 दुकानें बनाये जाने की अनुमति बोर्ड से मांगी। उनके द्वारा अपने अनुरोध दिनांक 13–8–2009 में कहा गया कि कुल 98 दुकानें बनाये जाने की बात कही। दुकानों की छत पर वक्फनामें के अनुसार मुसाफिरखाना दुकानों की आय से बनाये जाने हेतु मुसाफिरखाने का मानचित्र प्रस्तुत किया जायेगा जिस पर बोर्ड ने अपने आदेश दिनांक 17–8–2009 के अनतर्गत छः शर्तों पर आधारित सशर्त अनुमति प्रदान की थी।

जांच कमेटी द्वारा प्रकरण में की गयी जांच से यह स्पष्ट होता है कि वक्फ के मुतवल्ली श्री नवाब काज़िम अली खां द्वारा बोर्ड को गुमराह कर वक्फ हुसैनी सराय की सम्पत्ति पर अपने आवेदन पत्र दिनांक 13–8–2009 के अन्तर्गत अनुमति मांगी गयी। जिस पर बोर्ड ने उन्हें छः शर्तों पर आधारित अनुमति अपने आदेश दिनांक 17–8–2009 के अन्तर्गत दी। बोर्ड द्वारा निर्माण हेतु दी गयी अनुमति स्वयं मुतवल्ली द्वारा निर्माण कराये जाने हेतु दी गयी थी। वक्फ के मुतवल्ली को यह अधिकार नहीं दिया गया था कि वे वक्फ सम्पत्ति पर किसी प्राइवेट बिल्डर से अनबंध करें और उससे निर्माण करायें जैसाकि जांच आख्या में स्पष्ट हुआ है। जांच कमेटी द्वारा अपनी आख्या के साथ जो वक्फ के मुतवल्ली नवाब काज़िम अली खां द्वारा नासिर अली खां के पक्ष में किया गया अनुबंध दिनांक 06–2–2011 प्रस्तुत किया गया है वह मुतवल्ली की घोर अनियमितता है और वक्फ हित के विपरीत है। मुतवल्ली द्वारा उक्त अनुबंध में दुकानों से होने वाली आय जिससे उनके द्वारा मुसाफिरखाना बनाये जाने का प्रस्ताव अपने पत्र दिनांक 13–8–2009 के अन्तर्गत बोर्ड के समक्ष किया था, किये गये अवैध अनुबंध दिनांक 06–2–2011 में मुतवल्ली द्वारा उक्त वक्फ की आय को श्री नासिर

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

अली खां को हस्तांतरित कर दिया है और स्पष्ट लिख दिया है कि इस रकम से प्रथम पक्ष अर्थात मुतवल्ली से कोई वास्ता नहीं होगा न ही वक्फ के खाते में जमा की जायेगी। यह घोर वित्तीय अनियमितता है। वक्फ से होने वाली आय को बिना बोर्ड की अनुमति हस्तांतरित नहीं किया जा सकता तथा वक्फ हित में ही मुतवल्ली को ही अधिकार है कि वक्फ के कार्य हेतु ही आवश्यकतानुसार वक्फ की आय से नियमानुसार व्यय करे। जांच आख्या से यह भी स्पष्ट हुआ है कि अवैध रूप से अधिकृत संस्था माजिया कान्सट्रक्शन द्वारा हुसैनी सराय की सम्पत्ति पर दुकानों का निर्माण कराया गया है उक्त दुकानों के निर्माण के ऊपर वाकिफ की मन्शा जिसमें उक्त ज़मीन मुसाफिरखाने के लिए वक्फ की गयी थी, मुसाफिरखाना बनाये जाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। उक्त निर्माण वाकिफ की मंशा के विपरीत है व बोर्ड द्वारा निर्माण हेतु दी गयी अनुमति का उल्लंघन करते हुए किया गया निर्माण है, जोकि अवैध है। बोर्ड वक्फ हित में यह उचित समझता है कि वाकिफ की मंशा के विपरीत तथा बोर्ड द्वारा मुतवल्ली को दी गयी सशर्त अनुमति का उल्लंघन करते हुए तथा अनाधिकृत संस्था माजिया कान्सट्रक्शन द्वारा वक्फ हुसैनी सराए I–1546 की सम्पत्ति पर कराया जा रहा निर्माण जो अवैध है, को ध्वस्त किया जाना वक्फ हित में समझता है।

बोर्ड वक्फ हुसैनी सराय I–1546 में वक्फ सम्पत्ति पर हो रहे निर्माण के संबंध में प्राप्त साक्ष्य सहित जांच आख्या पर यह निर्णय लेता है कि वक्फ हुसैनी सराय की सम्पत्ति पर दी गयी दुकानों की अनुमति दिनांक 17–8–2009 अनुमति में दी गयी शर्तों के उल्लंघन किये जाने के कारण, वाकिफ की मंशा के विपरीत निर्माण किये जाने के कारण, बगैर बोर्ड की अनुमति प्राइवेट बिल्डर माजिया कान्सट्रक्शन कम्पनी से वक्फ के मुतवल्ली नवाब काजिम अली खां द्वारा अवैध रूप से अनुबन्ध किये जाने के कारण, किये गये अवैध अनुबन्ध दिनांक 6–02–2011 में मुतवल्ली द्वारा वक्फ की आय को अनाधिकृत संस्था माजिया कान्ट्रक्शन को हस्तांतरित किये जाने के कारण तथा ऐसा निर्माण कराये जाने के कारण कि जिसके ऊपर हुसैनी सराय का निर्माण न हो सके, के कारण निरस्त करता है तथा ज़िलाधिकारी/अपर सर्वे वक्फ आयुक्त, रामपुर को निर्देशित किया जाता है कि वक्फ हुसैनी सराय पर किये गये दुकानों के निर्माण जोकि अनुमति की शर्तों के विपरीत है, वह वक्फ हित में नहीं है, को अपने स्तर से तत्काल अविलम्ब ध्वस्त करा दे। ध्वस्तीकरण में आय समस्त खर्च की वसूली संबंधित से प्राप्त करें।

10/04/12

(सै0 वसीम रिज़वी)
अध्यक्ष

(सै० वसीम रिज़वी)
अध्यक्ष
शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उ० प्र०

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

आदेश

प्रस्तुत कार्यवाही वक्फ सं0–I–1233 वक्फ बहू बेगम, वक्फ सं0–I–1234 वक्फ नवाब मो0 सईद खॉ, वक्फ सं0–I–1235 वक्फ बाग मेंहदी अली खान,वक्फ सं0I–1236 वक्फ कर्बला शरीफ, वक्फ सं0 I–1237 वक्फ मुकाबिर मोमिनीन, वक्फ सं0I–1238वक्फ मर्दाना किला ,वक्फ सं0–I–1546वक्फ हुसेनी सरांय, रामपुर के मुतवल्ली श्री नवाब काजिम अली खान के द्वारा दायर रिट याचिका सं052739/2012 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12–10–2012 के कम में प्रारम्भ की गयी। प्रकरण का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है कि तत्कालीन अध्यक्ष, शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी/अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ,जिला– रामपुर को एक पत्र सं0 मेमो/कैम्प दिनांक 01–04–2012 प्रेषित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि वक्फ के मुतवल्ली द्वारा किसी प्राइवेट बिल्डर (माजिया कान्सट्रक्शन कम्पनी) से वक्फ हुसेनी सराय में कुल 98 दुकानों को बनाये जाने की अनुमति का उल्लंघन करते हुए निर्माण कराया जा रहा है। प्रकरण वक्फ की सुरक्षा तथा वाकिफ की मंशा से जुड़ा है। वक्फ हित में यह उचित प्रतीत होता है कि प्रकरण की जॉच तत्काल प्रभाव से करा ली जाय। मुतवल्ली द्वारा दुकानों का निर्माण कराने में की गयी उक्त अनियमितता के कारण बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक तत्समय निर्मित दुकानों को सील करने तथा जिलाधिकारी/ अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ, रामपुर को प्रकरण की जॉच एक सप्ताह में सुनिश्चित करने के आदेश जारी किये गये। बोर्ड के उक्त पत्र दिनांक 01–4–2012 के कम में जिलाधिकारी रामपुर द्वारा अपने पत्र सं0 12/वक्फ नं0 I–1546 /हु0स0/जॉच/12 दिनांक 09–4–2012 के द्वारा वक्फ बोर्ड को प्रेषित की गई। इस जॉच आख्या के प्राप्त होने पर बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिनांक 10–4–2012 को एक आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत वक्फ हुसेनी सरांय के साथ समस्त सातों औकाफ के मुतवल्ली पद से श्री नवाब काजिम अली खान को हटाते हुए अपर जिलाधिकारी (वि0एवं रा0) को बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। बोर्ड द्वारा दिनांक 10–04–2012 को ही एक अन्य आदेश पारित करते हुए वक्फ हुसेनी सरांय पर निर्मित दुकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित किया गया। बोर्ड के इस आदेश से क्षुब्ध होकर मुतवल्ली द्वारा एक रिट याचिका सं019598/2012 मा0 उच्च न्यायालय में योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश दिनांक 24–04–2012 पारित किया गया जिसके कम में मुतवल्ली को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः बोर्ड द्वारा आदेश दिनांक 16–8–2012 पारित किया गया।

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

बोर्ड के इस आदेश दिनांक 16–8–2012 के विरूद्ध पुनः मुतवल्ली द्वारा रिट याचिका सं0 52739/2012 दायर की गई। इस रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–2012 के क्रम में ही वर्तमान कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की गई।यहॉ पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा बोर्ड द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 16–8–2012 को मूलतः इस आधार पर निरस्त किया गया है कि प्रश्नगत आदेश वक्फ अधिनियम की धारा 64(3) के तहत बोर्ड के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित न होकर एक सदस्य द्वारा पारित किया गया है । चूँकि वर्तमान समय में बोर्ड अतिष्ठित है।अतः धारा –99 के अंतर्गत बोर्ड की सम्पूर्ण शक्तियॉ प्रशासक में निहित होने के कारण प्रश्नगत प्रकरण में सुनवाई किये जाने का क्षेत्राधिकार प्रशासक को प्राप्त है।

मा0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 12–10–2012 बोर्ड में प्रस्तुत होने के उपरान्त मुतवल्ली को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। मुतवल्ली की ओर से मौखिक एवं लिखित कथन प्रस्तुत किये गये । अपने लिखित कथन दिनांक 13–5–2013 के द्वारा मुतवल्ली की ओर से उपस्थित पैरोकार मो0 आरिफ,असिस्टेंट सेकेटरी औकाफ, रामपुर स्टेट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दिनांक 10–5–2012 व 14–6–2012 के प्रार्थनापत्रों के क्रम में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

मुतवल्ली की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन दिनांक 13–5–2013 में कहा गया है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 1–4–2013 को जिला मजिस्ट्रेट रामपुर को वक्फ हुसेनी सरांय रामपुर में हो रहे निर्माण कार्य की जॉच करने के निर्देश दिये तथा बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक निर्मित दुकानों को सील किये जाने के भी आदेश दिये गये । बोर्ड के इन आदेशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट रामपुर द्वारा एक जॉच समिति गठित की गई जिसके द्वारा निर्माणाधीन कार्य को रोकते हुए 34 निर्मित दुकानों को सील कर दिया गया तथा दिनांक 08–4–2012 को समिति द्वारा जॉच आख्या प्रस्तुत की गई। इसके बाद वक्फ बोर्ड द्वारा दिनांक 10–4–2012 को एक अन्य आदेश पारित किया गया जिसके द्वारा रामपुर स्टेट के सातों औकाफों को धारा–65 वक्फ अधिनियम के अंतर्गत सीधे नियंत्रण में लेते हुए श्री नवाब काजिम अली खॉ को मुतवल्ली पद से हटा दिया गया । चूँकि आदेश दिनांक 1–4–2012 व 10–4–2012 मुतवल्ली को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये हुए पारित किये गये थे । इसलिए रिट याचिका सं0 19598/2012 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी गई । इस रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24–4–2012 को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए दिनांक 1–4–2012 व 10–4–2012 के आदेश को प्रभावहीन कर दियागया तथा मुतवल्ली को

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश दिये गये । इस सुनवाई के क्रम में मुतवल्ली द्वारा बोर्ड के समक्ष दिनांक 10–8–2012 को अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किया तथा जॉच आख्या दिनांक 8–4–2012 के विरूद्ध भी दिनांक 14–6–2012 को लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया । वक्फ बोर्ड द्वारा अन्त में दिनांक 16–8–2012 को पुनः एक आदेश पारित किया गया जिसमें पूर्व आदेश दिनांक 1–4–2012 व 10–4–2012 को यथावत रखा गया । मुतवल्ली द्वारा बोर्ड के इस आदेश दिनांक 16–8–2012 को पुनः रिट याचिका सं0 52739/2012 के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।यह रिट याचिका अन्तिम रूप से दिनांक 12–10–2012 को मा0 उच्च न्यायालय में निर्णीत हुई। मा0 उच्च न्यायालय में एक अन्य प्रार्थना–पत्र सं0 341434/2012 अभी भी निस्तारण हेतु लम्बित है। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12–10–2012 में करेक्शन/मॉडीफिकेशन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया । आगे कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में मुतवल्ली के विरूद्ध कोई आदेश नहीं है और वह उक्त सातों औकाफ के मुतवल्ली का कर्तव्य निभाने के लिए स्वतंत्र है । इसलिए वह दुकानों का निर्माण करा सकते हैं। जिन 34 दुकानों को सील किया गया है उसे खुलवाने हेतु मुतवल्ली को उन्हें हस्तगत किया जाना चाहिए क्योंकि जॉच आख्या प्रस्तुत करने तक दुकानें सील की गयी थीं । अतः जॉच की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात सील किये जाने का आदेश स्वतः समाप्त हो गया है। बोर्ड के आदेश दिनांक 10–4–2012 व 16–8–2012 में मुतवल्ली के विरूद्ध अस्पष्ट आरोप लगाये गये है। यदि मुतवल्ली के विरूद्ध स्पष्ट आरोप के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य होता तो उसे मुतवल्ली को अवगत कराया जाता जिसका वह उत्तर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करता । इस लिखित अभिकथन में यह भी कहा गया है कि यदि बोर्ड के समक्ष मुतवल्ली पर लगाये गये अस्पष्ट आरोपों का कोई स्पष्ट साक्ष्य है तो उसे मुतवल्ली को उपलब्ध कराया जाय ताकि उसका उत्तर मुतवल्ली द्वारा दिया जा सके।

मुतवल्ली की ओर से प्रस्तुत लिखित अभिकथन दिनांक 13–5–2013 में संदर्भित मुतवल्ली द्वारा पूर्व में दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांक 10–5–2012 में कहा गया है कि प्रार्थी/मुतवल्ली को रामपुर स्टेट के सातों औकाफ का मुतवल्ली बोर्ड के आदेश दिनांक 15–3–2002 द्वारा नियुक्त किया गया। इस आदेश में वक्फ सं0I–1546 को विकसित करने के लिए उस पर 68 दुकानों के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई। बाद में दिनांक 13–08–2009 एवं दिनांक 08–8–2011 द्वारा प्रार्थी को 30 दुकानें निर्मित कराने के अनुमति दी गई । इस प्रकार कुल 98 दुकानों के निर्माण की अनुमति प्रार्थी को प्राप्त हुई जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा बोर्ड में

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

निर्धारित विकास शुल्क जमा किया गया । प्रार्थी द्वारा निर्माण एजेन्सी से अनुबंध पत्र दिनांक 7–3–2011 व 18–1–2012 के माध्यम से निर्माण अनुबन्ध किया गया। बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति के कम में 98 में से 34 दुकानों का निर्माण कराया गया तथा शेष दुकानें निर्माणाधीन है। निर्माण एजेन्सी से हुए करार में बिल्डर को 90,000–00 रू0 प्रति दुकान का निवेश किया जाना है जो दुकानों के निर्माण के उपरान्त उसे अदा किया जायेगा। प्रार्थनापत्र में यह भी कहा गया कि वक्फ अधिनियम में न तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, जिला मैजिस्ट्रेट और न ही किसी प्राधिकारी को वक्फ प्रापर्टी सील किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त है। प्रश्नगत औकाफ अलल औलाद है तथा प्रार्थी वाकिफ का वंशज एवं हितबद्ध व्यक्ति है। औकाफ के विकास और उसकी आय बढाने के लिए यह आवश्यक है कि विकास कार्य किया जाय। शासनादेश दिनांक 14–3–1994 के द्वारा औकाफ पर हो रहे विकास कार्य में किसीप्रकार का हस्तक्षेप करने से निषिद्ध किया गया है। वक्फ बोर्ड को एक सीमित पर्यवेक्षणीय अधिकार है, इसलिए प्रश्नगत औकाफ के सुचारू रूप से संचालन एवं प्रबन्धन में हस्तक्षेप करने का अधिकार वक्फ अधिनियम में अध्यक्ष को नहीं है। बोर्ड द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश वक्फ अधिनियम की धारा–32 तथा धारा 64(3) के विरूद्ध है। प्रश्नगत दुकानों का निर्माण वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अनुमति के कम में किया जा रहा है तथा बोर्ड द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने से औकाफ के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा । अंत में कहा गया कि बोर्ड ने अपने आदेश दिनांक 1–4–2012 व 10–4–2012 में जो यह बात कही है कि प्रार्थी द्वारा वक्फ प्रापर्टी को क्षति पहुँचाई जा रही है व उसे खुर्द–बुर्द किया जा रहा है पूरी तरह से आधारहीन है। यह सही है कि दुकानों का निर्माण प्राइवेट बिल्डर द्वारा किया जा रहा है परन्तु यह बोर्ड द्वारा जारी अनुमति के विपरीत नहीं है।

मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन दिनांक 13–05–2013 में संदर्भित एक अन्य प्रार्थनापत्र दिनांक 14–6–2012 में कहा गया है कि जिला मैजिस्ट्रेट रामपुर द्वारा प्रेषित जॉच आख्या दिनांक 08–4–2012 पूरीतरह से अवैध है क्योंकि यह जॉच प्रार्थी की अनुपस्थिति में उनको बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये हुए की गई। दिनांक 04–4–2012 को जारी नोटिस के उत्तर में उनके द्वारा एक पत्र दिनांक 09–4–2012 जिसमें 15 दिन का समय उत्तर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मॉगा गया था,उन्हें प्रदान नहीं किया गया तथा यह जॉच आख्या मनमाने ढंग से प्रेषित की गई है । इसमें निर्माण कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में जिन 6 शर्तो के अधीन अनुमति दी गयी थी उनका ठीक तरह से विश्लेषण नहीं